भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 415
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बीएनएसएस में अनुपस्थिति में मुकदमे

415# श्री आदित्य प्रसादः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमे चलाने की कोई व्यवस्था की गई/प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): उद्घोषित अपराधी की पूछताछ, परीक्षण और निर्णय के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में धारा 356 जोड़ी गई है। उद्घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे का एक नया प्रावधान अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने तथा अभियुक्तों की अनुपस्थिति में फैसला सुनाने की अनुमति देता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय से वंचित रखा जाए।

******